रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270524
CG-DL-E-26022026-270524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947
No. 42] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

फा. सं. एच-22011/2/2014-एसडीई (खंड IV)-भाग(3).— भारत सरकार की कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंडों से संबंधित दिनांक 15.07.2015 की अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-I के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रयोजनार्थ गठित सामान्य मानदंड समिति दिनांक 15.07.2015 की अधिसूचना सं. एच-22011/2/2014/एसडीई-I और इसके बाद यथा संशोधित दिनांक 20.05.2016, 28.02.2017, 31.12.2018, 11.11.2020 और 01.01.2021 की अनुबंध-I की अनुसूचियों में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं, अर्थात:-

1. ये संशोधन कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदंड छठा संशोधन, 2026 कहे जाएंगे।

संशोधन:

(i) अनुबंध-1 की अनुसूची-I के खंड 1 के उपखंड 1.1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1.1 अधिसूचना जारी होने की तारीख से श्रेणी I, श्रेणी II और श्रेणी III के विभिन्न सेक्टरों के लिए जॉब रोल्स हेतु आधार लागत अनुसूची-I के खंड 1.1 में उल्लिखित राशि को क्रमशः 15%, 25% और 5% की दर से बढ़ाई जाती है।

विभिन्न सेक्टरों के लिए आधार लागत अधिसूचना जारी होने की तारीख से निम्नानुसार होगी:-

i. अनुसूची-II की श्रेणी I में सूचीबद्ध ट्रेड़ों/सेक्टरों के लिए 56.35 रुपए प्रति घंटा प्रशिक्षण

ii. अनुसूची-II की श्रेणी II में सूचीबद्ध ट्रेड़ों/सेक्टरों के लिए 52.50 रुपए प्रति घंटा प्रशिक्षण

iii अनुसूची-II की श्रेणी III में सूचीबद्ध ट्रेड़ों/सेक्टरों के लिए 36.85 रुपए प्रति घंटा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण जॉब रोल्स के लिए आधार दरों के संबंध में अनुबंध-I की अनुसूची-I के उपखंड 1.1 के नीचे निम्नलिखित उपखंड 1.2 और 1.2.1 जोड़े जाएंगे, अर्थात:-

1.2 श्रेणी I, II और III के जॉब रोल्स के अंतर्गत संशोधित प्रति घंटा प्रशिक्षण लागत दरें सभी सेक्टरों में सभी जॉब रोल्स पर अनंतिम रूप से लागू होंगी, जब तक कि एनएसक्यूएफ स्तर 3.5 से ऊपर के प्रशिक्षण जॉब रोल्स के लिए आधार दरों को निर्धारित करने के लिए एक अलग कार्यप्रणाली को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

1.2.1 पुन: वर्गीकरण के पश्चात उपर्युक्त संशोधित दरें केवल एनएसक्यूएफ स्तर 3.5 तक के जॉब रोल्स के लिए लागू होंगी।

(ii) अनुबंध-1 की अनुसूची-I के खंड 5 के उपखंड 5.1 के स्थान पर अधिसूचना जारी होने की तारीख से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5.1 विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण: उत्तर-पूर्व राज्यों, जम्मू और कश्मीर, **लद्दाख**, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और गृह मंत्रालय द्वारा एकीकृत कार्य योजना के लिए यथा चिन्हित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों (एतद् पश्चात "विशेष क्षेत्रों" के रूप में उल्लिखित) में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आधार लागत के अतिरिक्त आधार लागत के 10% के बराबर अतिरिक्त राशि की अनुमति दी जानी चाहिए ।

ज्ञान भूषण, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2026

F. No. H-22011/2/2014-SDE (Vol. IV)-Part(3).— In exercise of the powers conferred by Clause 4 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 concerning Common Norms for Skill Development Schemes of the Government of India, the Common Norms Committee constituted for the purpose makes the following changes further to amend the Schedules of Annexure-I of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 as subsequently amended dated 20.05.2016, 28.02.2017, 31.12.2018, 11.11.2020 and 01.01.2021, namely:

1. These amendments may be called Common Norms for Skill Development Schemes Sixth Amendment, 2026.

Amendments:

(i) For Sub-Clause 1.1 of Clause 1 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted.

1.1 The base costs for different sectors of Category I, Category II and Category III job roles are increased at 15%, 25% and 5% respectively of the amounts mentioned in clause 1.1 of SCHEDULE-I with effect from date of notification.

The base cost for different sectors will be as under with effect from date of notification:-

i. ₹ 56.35 per hour of training for trades/sectors listed in Category I of SCHEDULE-II

ii. ₹ 52.50 per hour of training for trades/sectors listed in Category II of SCHEDULE-II

iii. ₹ 36.85 per hour of training for trades/sectors listed in Category III of SCHEDULE-II

The following Sub-clauses 1.2 and 1.2.1 shall be added below Sub-clause 1.1 of SCHEDULE-I of Annexure-I regarding base rates for training job roles, namely:-

1.2 The revised per-hour training cost rates under Category I, II and III job roles shall apply provisionally to all job roles across sectors, till separate methodology for determining base rates for training job roles above NSQF Level 3.5 is finalized.

1.2.1 Post re-categorization, the revised rates given above will apply only for job roles up to NSQF Level 3.5.

(ii) For Sub-Clause 5.1 of Clause 5 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted as under with effect from date of notification.

5.1 Training in Special Areas: Over and above the Base Cost, an additional amount equal to 10% of the Base Cost should be permitted for Skill Development programmes conducted in the North Eastern States, Jammu & Kashmir, **Ladakh,** Himachal Pradesh, Uttarakhand, Andaman & Nikobar Island, Lakshadweep and districts affected by Left Wing Extremism (LWE) as identified by the M/O Home Affairs for the Integrated Action Plan (hereinafter referred to as "Special Areas").

GYAN BHUSHAN, Senior Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA